



SU/REG/Acad/F-1/12/2018/Vol-II/PF-I/587

दिनांक: 17.09.2020

परिपत्र - 36/2020

विषय: यूजीसी गैर-नेट फैलोशिप प्रदान करने के लिए मासिक चक्र में परिवर्तन

यह सभी विभागाध्यक्षों/प्रभारी, पर्यवेक्षक और गैर-नेट स्कॉलर को सूचित किया जाता है कि अबतक मासिक भुगतान चक्र किसी भी महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख तक के बीच था। इसलिए दिनांक 20 अगस्त, 2020 तक की अवधि तक दावा फार्म जमा करने वालों का भुगतान किया जा रहा है।

संशोधित नॉन-नेट फैलोशिप से संबन्धित दिशानिर्देशों के आधार पर दिनांक 07.09.2020 को डीन, छात्र कल्याण द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब भुगतान चक्र को किसी भी महीने की 15 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 तारीख तक संशोधित किया जाएगा। दावा/उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार होंगे :

- क) मासिक गैर-नेट फैलोशिप का दावा/उपस्थिति किसी भी महीने की 15 तारीख से अगले महीने की 14 तारीख तक होगा।
- ख) किसी भी महीने के 20 वें दिन के भीतर इन दावों/उपस्थिति को विभागाध्यक्ष के माध्यम से वित्त को जमा करना है।
- ग) गैर-नेट फैलोशिप किसी भी महीने के 30 वें दिन जारी किया जाएगा।

इसलिए, सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी, पर्यवेक्षकों और गैर-नेट स्कॉलर से अनुरोध है कि वे सत्र 2020-21 के तीसरे महीने के दावे के लिए दिनांक 21 अगस्त, 2020 से 14 सितंबर, 2020 तक दावा प्रस्तुत करें। जिन स्कॉलर ने सत्र 2020-21 के फैलोशिप के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि 14 सितंबर, 2020 तक दावा प्रपत्र जमा करें।

देबाशीष पाल

(देबाशीष पाल)

वित्त अधिकारी

विवरण:

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. डीन, सभी विद्यापीठ
4. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, डीन, छात्र कल्याण
5. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी
6. डॉ. सुरेश के गुरुंग, संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक)
7. अध्यक्ष, सूसा
8. सिस्टम एनालिस्ट - सिक्किम विश्वविद्यालय की वेबसाइट में इस परिपत्र को अपलोड करने का अनुरोध के साथ
9. सभी सूचना पट
10. सुरक्षा फाइल